न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, आई.ए.एस.

वादपत्र संख्या 33/2016
अन्तर्गत धारा 53,91,188,92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

1. सुश्री मनजोतकौर आयु 10 वर्ष एवं
2. राजेन्द्रसिंह आयु 8 वर्ष आत्मज श्री कुलवन्तसिंह उर्फ कान्तासिंह, जटसिख, चक 11 एच.एच. द्वारा प्राकृतिक माता श्रीमती वीरपोलकौर धर्मपत्नी श्री कुलवन्तसिंह उर्फ कान्तासिंह, जटसिख, चक 11 एच.एच. ढींगांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर,

.....वादीगण

बनाम

1. कुलवन्तसिंह उर्फ कान्तासिंह आत्मज श्री बलदेवसिंह, जटसिख, चक 11 एच.एच. ढींगांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
2. इकबालसिंह आत्मज श्री रूपसिंह, जटसिख, चक 11 एच.एच ढींगांवाली .
3. मोठासिंह,
4. गुरनेकसिंह,
5. पुन्नूसिंह आत्मजन श्री गुरनामसिंह, जटसिख, चक 11 एच.एच.
6. श्रीमती जंगीरकौर धर्मपत्नी श्री रूपसिंह, जटसिख, चक 11 एच.एच. ढींगांवाली
7. श्रीमती रूपेन्द्रकौर धर्मपत्नी श्री हरपालसिंह, जटसिख, चक 11 एच.एच. ढींगांवाली एवं
8. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर.

.......प्रतिवादी

उपस्थिति– श्री अवरिन्द्रसिंह (वादीगण)
श्री संजय जनवेजा (प्रतिवादी–1)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–8)

दिनांक 20 अगस्त, 2018

– आदेश –

वादपत्र के अनुसार चक 11 एच.एच. तहसील जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 18, 19 एवं 30 में 11.638 हैक्टर में से 1.454 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व अभिलेख सम्बत् 2069–2072 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर संयुक्त खातेदारी दर्ज है. जो कि पैतृक कृषि भूमि है. प्रतिवादी संख्या 1 बुरी आदतों का शिकार है तथा गलत लोगों के प्रभाव में तथा गलत आदतों की पूर्ति के लिये

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

महायक कलैक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2/5

प्रश्नगत कृषि भूमि अन्तरित करने में प्रयासरत है. प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की माता को छोड़कर अन्यत्र निवास कर रहा है. इसी कारण प्रतिवादी संख्या 1 उक्त पैतृक कृषि भूमि को अन्तरित कर वादीगण को उनके हक व हिस्सा से वंचित करने में प्रयासरत है. जबकि प्रश्नगत कृषि भूमि का विभाजन करवाये बिना प्रतिवादी संख्या 1 प्रश्नगत कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से अन्तरित करने का अधिकारी नही है. यदि वह अपने प्रयासों में सफल हो जाता है तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी. प्रश्नगत कृषि भूमि पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है. प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को जबरन बेदखल कर गलत तौर पर अन्तरित करना चाहता है जबकि वादीगण का एवं उसकी माता का जीवन निर्वाह का केवल मात्र यही साधन है. वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से बार बार आग्रह किया गया कि वह उक्त कृषि भूमि को पैतृक कृषि भूतम मानकर वादीगण के नाम से बहिस्सा बराबर बराबर अर्थात 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज करवाये तथा बिना खाता विभाजन करवाये बिना आवश्यकता एवं बिना प्रतिफल प्रश्नगत कृषि भूमि को बंधक, विक्रय अथवा अन्तरित करने तथा वादीगण को बेदखल करने से निषिद्व रहे किन्तु टालमटोल करते हुऐ प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 6 अप्रेल, 2017 को साफ इन्कारी हो गया. यही वादहेतुक उपलब्ध है. प्रतिवादी सख्या 2 से 7 प्रश्नगत कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार हैं इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 से 7 को प्रतिपक्षकार बनाया गया है. इस प्रकार वादीगण द्वारा चक 11 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 18,19 एवं 30 की 11.638 हैक्टर में में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज 1.454 हैक्टर कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा होने से वादीगण को 2/3 हिस्सा का खातेदार, काश्तकार एवं हकदार मानते हुऐ प्रत्येक 1/3–1/3 अर्थात वादीगण को 2/3 हिस्सा के खातेदार की घोषणा करते हुऐ प्रतिवादी संख्या 1 को प्रश्नगत कृषि भूमि को बंधक, विक्रय एवं अन्य किसी भी प्रकार से अन्तरित करने से निषिद्व करने की स्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 11 एच.एच. की जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072, चक 11 एच.एच. की जमाबन्दी सम्बत् 2026–2035 की प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 2 से 7 की तलबी हेतु जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त होने पर रूक रूक कर निरन्तर आवाजें लगवाये जाने पर भी उपस्थित नहीं आने के परिणामतः आदेश दिनांक 13 जून, 2017 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी. प्रतिवादी संख्या 8 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

प्रतिवादी संख्या 1 को जवाब वादपत्र हेतु यथोचित अवसर दिये जाने पर भी जवाब वादपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण आदेश दिनांक 5 सितम्बर, 2017 द्वारा जवाब वादपत्र बन्द किया गया.

प्रतिवादी संख्या 8 राज्यपक्ष की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 19 सितम्बर, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वाद वादी एवं प्रतिवादी के मध्य का है, राजयपक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया. फिर भी, राज्यपक्ष के हित को मध्यनजर रखते हुऐ निर्णय पारित किये जाने पर राज्यपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है.

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब वादपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं राज्यपक्ष की ओर से प्रस्तुत जवाब वादपत्र के परिदृश्य विवाद्यको का निर्धारण अपेक्षित नहीं रहे.

प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता द्वारा उपस्थित आकर no instructions टिप्पणी हस्ताक्षरित की गयी. जिसके परिणामतः नियमानुसार प्रतिवादी संख्या 1 की तलबी हेतु पंजीकृत सम्मन दिनांक 20 नवम्बर, 2017 को पंजीबद्व करवाया गया जिसकी पावती प्राप्त होने पर नियमानुसार रूक रूक कर निरन्तर आवाजें लगवाये जाने पर भी उपस्थित नहीं आने के परिणामतः आदेश दिनांक 6 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रतिवादी सख्या 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी.

साक्ष्य वादी हेतु श्रीमती वीरपालकौर एवं श्री गुरदेवसिंह द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये गये. प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा no instructions टिप्पणी एवं आदेश दिनांक 6 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रतिवादी सख्या 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के बाद पैरोकार राज द्वारा साक्षीगण वादी से जिरह नहीं करने के कथन हस्ताक्षरित किये गये.

अधिवक्ता वादीगण एवं पैराकार राज द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

अभिलेखीय साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत चक 11 एच.एच. की जमाबन्दी सम्बत् 2026–2035 एवं चक 11 एच.एच. की जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072 से यह तथ्य सिद्व नहीं होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज 1.454 हैक्टर कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है क्योंकि वादपत्र के किसी भी बिन्दु में प्रतिवादी संख्या 1 श्री कुलवन्तसिंह उर्फ कान्तासिंह के पिता का नाम अंकित नहीं किया गया है. ऐसी स्थिति में, चूंकि वादीगण वादपत्र के तथ्यों को सिद्व करने में नितान्त असफल रहे हैं. इसलिये वादीगण किसी भी प्रकार

33/17 एव
...लिक द... नायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2
7

का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने के कारण वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है.

।। आदेश ।।

अतः साक्ष्य के अभाव में वादपत्र निरस्त किया जाता है.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष आज दिनांक 20 अगस्त, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

33/17

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2/8

डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, I.A.S.

1. सुश्री मनजोतकौर आयु 10 वर्ष एवं
2. राजेन्द्रसिंह आयु 8 वर्ष आत्मज श्री कुलवन्तसिंह उर्फ कान्तासिंह, जटसिख, चक 11 एच.एच. द्वारा प्राकृतिक माता श्रीमती वीरपोलकौर धर्मपत्नी श्री कुलवन्तसिंह उर्फ कान्तासिंह, जटसिख, चक 11 एच.एच. ढींगांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर,

.....वादीगण

बनाम

1. कुलवन्तसिंह उर्फ कान्तासिंह आत्मज श्री बलदेवसिंह, जटसिख, चक 11 एच.एच. ढींगांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
2. इकबालसिंह आत्मज श्री रूपसिंह, जटसिख, चक 11 एच.एच ढींगांवाली .
3. मोठासिंह,
4. गुरनेकसिंह,
5. पुन्नूसिंह आत्मजन श्री गुरनामसिंह, जटसिख, चक 11 एच.एच.
6. श्रीमती जंगीरकौर धर्मपत्नी श्री रूपसिंह, जटसिख, चक 11 एच एच. ढींगांवाली
7. श्रीमती रूपेन्द्रकौर धर्मपत्नी श्री हरपालसिंह, जटसिख, चक 11 एच एच. ढींगांवाली एवं
8. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर.

.......प्रतिवादी

वादपत्र संख्या 33 / 2016
अन्तर्गत धारा 53,91,188,92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण अधिवक्ता श्री अवरिन्द्रसिंह पैरोकार राज (प्रतिवादी–8) की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वादपत्र निरस्त किया जाता है.

वाद व्यय शून्य वास्ते....शून्य......खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज...शून्य... ....दर वार्षिक ...शून्य........आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 20 अगस्त, 2018 को जारी की गयी.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनामा	00.00
स्टाम्प वकालतनामा	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00